(ग) और (घ) देश में उपभोक्ताओं को केवल परिशोधित पेट्रोलियम उत्पाद ही बेचे जाते हैं । जबकि कुछ उत्पाद विशेषतया वे जो कि समाज के अभिजात्य वर्क द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं उनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य की तुलना में बहुत कम रखी जाती है, अतः अन्य उत्पादों के लिए मूल्य-नीति उपयुक्त परस्पर इधन प्रतिस्थापन के बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है ताकि उसके सफल उपयोग और संरक्षण को बढ़ाया जा सके ।

(ङ) जी, नहीं ।

**दिल्ली में 220 किलोवाट के सबस्टेशन की संरचना के लिए स्वीकृति**

1265. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम नरेश यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1986 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिल्ली में वर्तमान विद्युत वितरण प्रणाली को प्रभावी और किफायती बनाने हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 220 किलोवाट सब-स्टेशन परियोजना का निर्माण करने की स्वीकृति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के लिए विश्वभर से निविदाएं मंगाई गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो निविदाएं स्वीकृत करने की अन्तिम तिथि क्या थी और इस संबंध में क्या और कब निर्णय लिया गया था ; और

(ङ) निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण थे और इस विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**तेल उद्योग के कार्यकरण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन**

1266. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1988 के "द हिन्दू" में "इंडिजिनस प्रोडक्शन आफ क्रूड इकानामिकल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में इस उद्योग के कार्यकरण संबंधी नीति में परिवर्तन करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार ने वह लेख देखा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के कम होने के बावजूद देश में ही कच्चे तेल का उत्पादन करना किफायती है ।

(ग) सरकार की नीति कच्चे तेल का अपने देश में अधिकतम उत्पादन करने की है तथा इस नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Price rise of mill made paper**

1267. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware

of the steep price rise grades 'A' and 'B' of mill made paper;

(b) whether prices have escalated several times since 1950, and if so, details of prices at the end of 1950, 1960, 1970, 1980 and 1987;

(c) whether the 3 major paper mills have raised prices four times since 1st October, 1987; and

(d) whether Government are aware that this is adversely affecting publishers?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (c) In line with the general price trend in the country, and on account of increase in the cost of inputs, etc., the prices of paper have also increased from time to time. The index numbers of wholesale prices in India for paper and paper products (base 1970-71-100) for the relevant years is as follows:—

| Year | Index |
|---|---|
| 1950 | 72.0 |
| 1960 | 81.8 |
| 1970 | 99.1 |
| 1980 | 258.9 |
| 1987 | 400.7 |

Some of the paper mills have reportedly revised their ex-mill prices of different varieties of paper and paper board more than once during the year 1988.

(d) It has been brought to the notice of Government that the book publishing industry is facing some difficulties on account of the rise in prices of paper. Steps have been taken by the Government to increase the production of paper and paper board in the country, as a result of which the production has gone up substantially, leading to easy availability in the market.

**Rules made under Indian Telegraph Act**

1268. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Rules framed under Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 have been amended since 1951;

(b) what are the latest rules made under the said Act; and

(c) what are the provisions under which an officer authorised under Section 5 of the Act could be punished for abuse or misuse of his powers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Yes, Sir. The Rules framed under Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885, called the Indian Telegraph Rules, 1951 have been amended a number of times since 1951. These have been published as part of Posts and Telegraphs Manual Volume I Part II (Legislative Enactment) corrected upto 1-9-84. Since then they have been amended 30 times The latest amendment has been issued on 2-11-1988. All the amendments are also placed on the Table of the House/as and when carried on.

(c) No provision exists in the Indian Telegraph Act, 1885 or Indian Telegraph Rules 1951 against abuse or misuse of powers by an officer authorised under Section 5 of the Act.

**दिहाड़ी मजदूरों का नियमित किया जाना**

1269. श्री ईश दत्त यादव

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार